न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 215/2020
3. उनवान : सरकार जरिये सुरेन्द्र सिंह राठौड, प्रवर्तन निरीक्षक
बनाम
श्री मंजूलता अग्रवाल, अधिकृत उचित मूल्य दुकान संख्या 315, सोम पथ, नेहरु नगर जयपुर।
4. निर्णय दिनांक : 24.08.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
ब) श्री के.डी. शर्मा अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह राठौड द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 04.06.2011 को शिकायत की जांच हेतु अप्रार्थी की उचित मूल्य की दुकान पर जांच कार्यवाही के दौरान दुकान व दुकान के बाहर खडी पिकअप से 850 लीटर नीला केरोसीन, 156 बैग आटा (1560 किग्रा.), 570 किग्रा. बीपीएल गेंहूं, 50 किग्रा. चीनी व पिकअप नम्बर आरजे–14–जी 8282 जब्त किये गये। अप्रार्थी द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनुदानित दर पर राशनकार्डों पर वितरित की जाने वाली राशन सामग्री को कालाबाजारी में बेचने हेतु पिकअप में लोड कर, रिकार्ड का सही संधारण नहीं कर व जांच हेतु पूर्ण रिकार्ड प्रस्तत नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा, एफ.आई.आर. आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 02.08.2011 को अधिवक्ता श्री के.डी. शर्मा ने उपस्थिति दी। अप्रार्थी/अभिभाषक द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया। दिनांक 21.06.2011 को श्री नाजी हुसैन ने स्वयं को जब्त गाडी का मालिक बताते हुये सुपुर्दगीनामे/जमानतनामे पर रिलीज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें रुपये 3,50,000/– का जमानतनामा पेश करने पर दिनांक 22.06.2011 को माननीय न्यायालय द्वारा जब्त गाडी के मोचन आदेश(रिलीज आर्डर) जारी किये गये। प्रकरण में दिनांक 14.07.2011 को जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वारा जब्त मालका अन्तरिम निस्तारण किया जा चुका है। तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र को ही लिखित बहस मानने का प्रार्थना पत्र पेश किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 24.08.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 04.06.2011 को जब्त सामान की अप्रार्थी द्वारा कालाबाजारी की जा रही थी जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का था। अप्रार्थी की उचित मूल्य की दुकान पर जब्त माल के आमद व वितरण के रिकार्ड का सही संधारण नहीं पाया गया। साथ ही अप्रार्थी ने जांच हेतु पूर्ण रिकार्ड भी प्रस्तुत नहीं किये। प्रकरण में जब्त गाडी के अलावा अन्य किसी भी जब्त सामग्री के संबंध में किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई क्लेम नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थी द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण व विनियमन) आदेश 1976 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में संधारित रिकार्ड अपूर्ण व सही नहीं होने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सामान को पिकअप में भरकर रखने का कोई सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा जब्त सामान एवं वाहन पिकअप नम्बर आरजे–14–जी 8282 (फर्दानुसार) को राजसात किया जाता है। चूंकि जब्त सामग्री के अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिये जा चुके है अब जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत अंतिम निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।